

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-बिलरियागंजगैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रूपये का इनामिया गिरफ्तार**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 14.08.2023 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 293/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ बनाम 1. नौशाद पुत्र अंसार सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. सलमान पुत्र अंसार सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3. फैजान उर्फ झिनक पुत्र अलीदर सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 4. माजिद पुत्र सज्जाद सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 5. सर्वेश उर्फ चन्दन पुत्र सम्पति सा0 भोर्ला मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसमे 25,000 रूपया इनामिया वांछित अभियुक्त माजिद उपरोक्त को आज गिरफ्तार किया गया है।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

दिनांक- 20.11.2023 को थानाध्यक्ष बंसंत लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त माजिद पुत्र सज्जाद निवसी ग्राम मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अण्डाखोर तिराहे पास से समय करीब 13.50 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. माजिद पुत्र सज्जाद सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**अपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 293/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 216/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 120/2022 धारा 354(क), 504, 506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 80/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. थानाध्यक्ष बंसंत लाल मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

दिनांक -- 19/11/2023 को उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराहीगण द्वारा थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त फिरोज पुत्र मोईन निवासी ग्राम देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम देवापार के पास से समय करीब 20.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया अभियुक्त फिरोज उपरोक्त के पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 --744/2023 धारा-- 3/25 A Act पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-** फिरोज पुत्र मोईन निवासी ग्राम देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी का विवरण:-** एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0-744 /23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 धारा थानाजनपद

1-235/20 18379 भादवि जीयनपुर आजमगढ़

2-253/20 193/5/8 गोवध निवारण अधिनियम जीयनपुर आजमगढ़

3-135/20 203(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट जीयनपुर आजमगढ़

4-744/20 233/25 आर्मस एक्ट जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

## थाना निजामाबाद

### चोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 24.10.2023 को वादी मुकदमा मनीष कुमार मौर्या पुत्र जगरनाथ मौर्या निवासी सहादतपुर थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि शेरपुर तिराहे स्थित वादी की दुकान में किसी अज्ञात चोर द्वारा दुकान में रखे गैस सिलेंडर, मिक्सर मशीन, स्टेबलाईजर आदि सामान चुरा लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 470/23 धारा 380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दिनांक 14.10.2023 को वादिनी मुकदमा सहनीला पुत्र शेरअली निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद द्वारा शिकायत किया गया कि रात्रि को किसी अज्ञात चोर ने घर में घुसकर 15000 रुपया, व अन्य किमती सामान चोरी कर लिया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 451/23 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण -** दिनांक 19.11.2023 को उ0नि0 मो0 शमशाद खां मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त शिवानन्द चौबे उर्फ सोनू पुत्र जयनाथ चौबे निवासी कारीसाथ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को शेरपुर तिराहे (भट्टे के पास से) से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 चोरी की मोटरसाईकिल व 4500 रुपये बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 505/23 धारा 420/467/468/471/411/413 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त शिवानन्द ने बताया कि दिनांक 24.10.23 को शेरपुर तिराहे के पास स्थित दुकान में चोरी तथा दिनांक 13.10.2023 को शीतला धाम के पास स्थित मकान से 15000 रुपये व इन्वर्टर मय बैटरी की चोरी उसने ही किया है तथा चोरी किये हुये सामान को बेच कर पैसे ले लिया है। जो जामा तलाशी के दौरान बरामद हुये है।

### पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 505/23 धारा 420/467/468/471/411/413 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** शिवानन्द चौबे उर्फ सोनू पुत्र जयनाथ चौबे निवासी कारीसाथ थाना जहानागंज आजमगढ़।

**बरामदगी-** 01 तमंच, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर , 4500 रुपये मुकदमे से संबंधित व 01 चोरी की मोटरसाईकिल

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 49/23 धारा 323/427/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 157/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 49/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 139/21 धारा 3/(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 404/16 धारा 307/412 भादवि थाना लंका काशी कमिश्नरेट वाराणसी
6. मु0अ0सं0 01/17 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना फूलपुर गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज
7. मु0अ0सं0 252/16 धारा 395/412 भादवि थाना फूलपुर गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज
8. मु0अ0सं0 298/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज
9. मु0अ0सं0 565/16 धारा 342/395/397/412/504/506 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 10 मु0अ0सं0 275/18 धारा 174 ए भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मो0 शमशाद खां चौकी प्रभारी रशीदगंज थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. का0 रुपेश पासवान का0 मुकेश विश्वकर्मा का0 मुरारी जायसवान थाना निजामाबाद, आजमगढ़

## थाना- कोतवाली

### ग्राम मनचोभा अन्तर्गत युवक की हत्या में अभियुक्तों का साथ देने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** वादी मुकदमा दिनेश कुमार पुत्र स्व० श्यामधारी निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें वादी का लड़का सूरज कुमार उम्र 24 वर्ष दिनांक- 11.11.23 को 7.30 बजे बलरामपुर शराब ठेके के पास अपने दोस्त आमीर पुत्र कासिम ग्राम मनचोभा व एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद थे। पिता दिनेश कुमार जब घर चलने के लिए बोले तो सूरज कुमार बताया कि मैं आमीर के साथ घर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद दिनेश के फोन करने पर सूरज कुमार ने अपने पिता को बताया कि मुझे आमीर व उनके दोस्त किशुनदासपुर ले जा रहे हैं और फोन कट गया। दिनांक 13.11.23 को तमसा नदी ग्राम ककरहटा में शव मिलने पर वादी दिनेश कुमार द्वारा शिनाख्त करने के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.11.23 को मु०अ०सं० 650/23 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम आमीर पुत्र कासीम उर्फ चुन्ने खाँ निवासी मनचोभा व एक अन्य व्यक्ति थाना कोतवाली पर पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 18.11.2023 को 02 अभियुक्तो 1- मो० आमिर पुत्र कासिम उर्फ चुन्ने खाँ निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, अंकुश यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक- 19.11.2023 को उ०नि० संजय तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तो 1. शेख कासिम पुत्र चुन्ने उर्फ तौहिद , 2. नुराना बानो पत्नी शेख कासिम उर्फ चुन्ने, 3. अनम बानो पुत्री शेख कासिम समस्त निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ को ग्राम मनचोभा से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 01 मोबाईल बरामद हुआ।

➡ अभियुक्त 1. तंजीम पुत्र मोहम्मद सुफियान, 2. रजिया पत्नी मो. तंजीम समस्त निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज से समय करीब 15.35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना के दौरान अभियुक्त आमिर द्वारा पहने कपड़ों को बरामद किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. शेख कासिम पुत्र चुन्ने उर्फ तौहिद निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 53 वर्ष
2. नुराना बानो पत्नी शेख कासिम उर्फ चुन्ने निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष
3. अनम बानो पुत्री शेख कासिम उर्फ चुन्ने निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष
4. रजिया पत्नी मो. तंजीम निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष
5. तंजीम पुत्र मोहम्मद सुफियान निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-** 01 मोबाईल, घटना के दौरान अभियुक्त आमिर द्वारा पहने कपड़ें

**पूछताछ का विवरण-** शेख कासिम, नुराना बानो ने बताया कि आमिर नशेड़ी प्रवृत्ति का है, आमिर, सूरज व अंकुश तीनों दोस्त थे तथा घर आते जाते थे। सूरज की बुरी नजर मेरी बेटी अनम पर थी। जिस कारण आमिर ने अपने दोस्त अंकुश यादव के साथ मिलकर दि. 11.11.23 को सूरज कुमार की हत्या कर दी तथा लाश नदी में फेंक दिया तथा घटना के बाद अपना मोबाईल अपनी बहन अनम को दे दिया।

➡ तंजीम व रजिया ने बताया कि दि. 11.11.23 को सूरज की हत्या करने के बाद आमिर अपने दोस्त अंकुश के साथ खून से लत फत बुलेट से हमारे घर आया था तथा अपना खून लगा कपड़ा दिया जिसको हमने धुल कर रख दिया था।

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०सं० 650/23 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

उ०नि० संजय तिवारी, हे०कां० विनीत कुमार दूबे, हे०कां० धर्मेन्द्र कुमार यादव, कां० पंकज सिंह, म०कां० नीरजा सिंह, म०कां० गरिमा थाना कोतवाली आजमगढ़।

## थाना—मेंहनाजपुर

### अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 20.11.23 को उ0नि0 कलामुद्दीन मय हमराह थाना हाजा से ग्राम डण्डवल की तरफ जा रहे थे कि बरवां मोड़ के पास सामने से आता हुआ एक व्यक्ति पुलिस की मोटरसाईकील को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा जिसे शक होने पर दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम राकेश उर्फ भरकुश राजभर पुत्र स्व0 बेचई राजभर निवासी ग्राम बरवां थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष बताया जिसके पास से 01 तमन्चा .12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ जिसे समय करीब 04.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/23 धारा 3/25 A Act पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-** राकेश उर्फ भरकुश राजभर पुत्र स्व0 बेचई राजभर निवासी ग्राम बरवां थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 238/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

**विवरण बरामदगी- 01** तमन्चा .12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर

#### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 63/93 धारा 457/380 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 100/2000 धारा 380 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 158/04 धारा 380/511 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 निल/08 धारा 41/411 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 160/08 धारा 110 सीआरपीसी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 212/09 धारा 110 सीआरपीसी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 233/10 धारा 110 सीआरपीसी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 102/15 धारा 3 / 4 गुंडा अधि0 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 192/13 धारा 394 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 122/11 धारा 396 भादवि थाना खानपुर जनपद गाजीपुर
11. मु0अ0सं0 177/11 धारा 307 भादवि थाना खानपुर जनपद गाजीपुर
12. मु0अ0सं0 354/11 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना खानपुर जनपद गाजीपुर
13. मु0अ0सं0 160/14 धारा 356 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
14. मु0अ0सं0 निल/18 धारा 110ए सीआरपीसी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
15. मु0अ0सं0 01/18 धारा 41,411.414 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 कलामुद्दीन थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़।
2. हे0का0 राजकुमार यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 जयप्रकाश प्रजापति थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

## थाना बिलरियागंज

### हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी/पीड़िता थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा धारा 156(3) द0प्र0सं0 के तहत वादिनी के देवर शहनवाज द्वारा छेड़खानी की गयी, मना करने पर वादिनी के ससुर इद्रीश व पति सनव्वर द्वारा गाली गलौज देना तथा पति सनव्वर ससुर इद्रीश ,देवर अरबाज व जेठ इस्तेयाक द्वारा मारना पीटना तथा पति सनव्वर ने गैरकानूनी तरीके से तलाक दिया गया व जाफर पुत्र गामा निवासी जगीपुर थाना जगीपुर जनपद गाजीपुर व उसके पति व परिवार के उपरोक्त लोगो ने षडयंत्र करके सनव्वर के बहनोई जाफर द्वारा वादिनी के साथ शारिरीक सम्बन्ध बनाने तथा जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 390/2023 धारा-120बी/323/354/376/377/498ए/504/506भादवि व 3/4मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधि0 बनाम 06 नफर पंजीकृत किया गया है। जिसमे वांछित अभियुक्त जाफर उपरोक्त को आज गिरफ्तार किया गया है।

#### गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 20.11.2023 को थानाध्यक्ष बसंत लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जाफर पुत्र शमशाद उर्फ गामा निवासी वार्ड नं0 05 जंगीपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर को छिंही नहर पुलिया के पास से समय करीब 14.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 390/2023 धारा-120बी/323/354/376/377/498ए/504/506भादवि व 3/4मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जाफर पुत्र शमशाद उर्फ गामा निवासी वार्ड नं0 05 जंगीपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।  
आजमगढ़।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष बसंत लाल बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।  
2. हे0का0 दिनेश कुमार यादव, का0 दीपक कुमार, का0 अजीत कुमार म0का0 ललिता सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।